तहसीलदार मुकलावा
नायब तहसीलदार रामेजा
ए डी जे साहब

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

लवप्रीतसिंह आदि बनाम जसवीररिंह आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/ 78 नम्बर 97/ 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
03.04.2024	प्रार्थी लवप्रीतसिंह पुत्र जसवीरसिंह जाति मजबी साकिन 7 एल.पी.एम. तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री प्रीतमसिंह गिल अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र. मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड हस्तांतरण, रहन वा बैय करने से बाज व ममनु हेतु आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि **चक 7 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता नं. 20/30 कें मु.नं. 18 प.नं 281/358 कुल 0.506 है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि पर** आगामी तारीख पेशी <u>21.05.2024</u> तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीयागण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे।** • **रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा।** • **डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यों व बैंक ऋण वसूली(राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा।** रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक <u>21.05.2024</u> को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	
06/05/24	वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के स्वयं उपस्थित [illegible] ORC प्रस्तुत [illegible] कर लिया है [illegible] एवं अप्रार्थीगण के मध्य [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

हो चुका है। काश्तकार के अधिकारों को सुरक्षित रखते
हुए मूल वाद डिक्री किया जा चुका है अतः इनके
03.04.2024 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर
निरस्त किया जाता है पत्रावली मिसिल होकर नम्बर
से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner